IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 7, October 2026
Impact Factor: 8.2

सामाजिक – आर्थिक विकास में पेशा कानून का प्रभाव

डॉ. पुष्पा तिवारी
प्राध्यापक राजनीति शास्त्र
शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश :–

पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा कानून) भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण और स्वशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक और वैधानिक कदम है। यह शोध–परक आलेख अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले संभावित सामाजिक और आर्थिक लाभों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य 'ग्राम सभा' को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करते हुए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना है। इसके माध्यम से सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है, महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ती है, रूढ़िगत संस्कृतियों और प्रथाओं का संरक्षण होता है तथा स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों की सुदृढ़ निगरानी संभव होती है। यह अधिनियम लघु वनोपज और लघु खनिजों पर स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित करता है, भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाता है, साहूकारी शोषण से मुक्ति दिलाता है और विकास परियोजनाओं में ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य बनाकर आदिवासियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध आलेख में उक्त बिन्दुओं को विस्तारित करने का मुख्य प्रयास है।

शब्द बीज :– पेसा, अधिनियम, कानून, संभावित, सामाजिक, आर्थिक, सहभागी लोकतंत्र, शिक्षा, प्रणालियों, ,सुदृढ़, निगरानी आदि।

प्रस्तावना :–

भारत के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने के लिए 73वां संविधान संशोधन मील का पत्थर साबित हुआ। हालांकि, देश के अनुसूचित क्षेत्रों में जहाँ मुख्य रूप से आदिवासी (जनजाति) समुदाय निवास करता है, वहाँ की सांस्कृतिक विशिष्टताओं, पारंपरिक रूढ़ियों और स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए सामान्य पंचायत राज व्यवस्था को ज्यों का त्यों लागू करना व्यावहारिक नहीं था। इस आवश्यकता को समझते हुए, भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद ने 24 दिसंबर 1996 को श्पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियमश पारित किया, जिसे सामान्यतः पेसा कानून, 1996) कहा जाता है।

पेसा कानून का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को श्ग्राम सभाश के माध्यम से स्वशासन का अधिकार प्रदान करना है ताकि वे अपने प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति और सामाजिक–आर्थिक विकास का प्रबंधन स्वयं कर

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-40494

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 7, October 2026 Impact Factor: 8.2

सकें। यह कानून केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समाजों के अधिकारों की पुनर्स्थापना और उनके सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम है।

पेसा कानून का वैधानिक और दार्शनिक आधार–पेसा कानून भारतीय लोकतंत्र की उस भावना पर आधारित है जिसमें 'विकास की मुख्यधाराश का अर्थ आदिम संस्कृति का विस्थापन न होकर, उनकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा करते हुए उनका समावेशी विकास है। यह कानून देश के 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना) के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है।

इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ग्राम सभा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पारंपरीक रूप से जिन समाजों में जल, जंगल, जमीन और सामुदायिक जीवन का विशेष महत्व रहा है, उन्हें कानूनी रूप से उनके संसाधनों का संरक्षक और निर्णयकर्ता बना दिया गया है।

पेसा कानून से होने वाले संभावित सामाजिक लाभ –आदिवासी समुदायों के सामाजिक ताने–बाने को संरक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने में पेसा कानून के कई दूरगामी सामाजिक लाभ हैं–ग्राम सभा का सशक्तिकरण और सहभागी लोकतंत्र–निर्णय लेने की स्वतंत्रता पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को अपने गॉवों के विकास कार्यों की योजना बनाने, उनका चयन करने और सामाजिक अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है।

महिला सहभागिता और समानता–आदिवासी समाजों में पारंपरिक रूप से महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक सम्मानित रही है। पेसा कानून के क्रियान्वयन से ग्राम सभाओं में महिलाओं को खुलकर अपनी बात रखने, स्थानीय प्राथमिकताओं (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण) पर निर्णय लेने और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का मंच मिलता है।

सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और रूढ़िगत कानूनों का संरक्षण–सांस्कृतिक स्वायत्तता– प्रत्येक आदिवासी समुदाय की अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा, रीति–रिवाज, पूजा पद्धतियाँ और विवाद समाधान के पारंपरिक तरीके होते हैं। पेसा कानून यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बाहरी या प्रशासनिक निर्णय इनकी सांस्कृतिक पहचान को ठेस न पहुँचाए। रूढ़िगत प्रथाओं का सम्मान–भूमि विवादों, पारिवारिक मामलों और सामाजिक जीवन से जुड़े छोटे–मोटे विवादों का निपटारा पारंपरिक ग्राम पंचायतों या बुजुर्गों की सहमति से स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है, जिससे अदालती चक्करों और बाहरी शोषण से बचाव होता है।

जल, जंगल और जमीन पर पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा–सामुदायिक संपदा की रक्षारू आदिवासी संस्कृति प्रकृति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। जल (नदियाँ, तालाब), जंगल (वनोपज) और जमीन (कृषि भूमि, गोचर) उनके अस्तित्व का आधार हैं। पेसा कानून के माध्यम से इन संसाधनों पर समुदाय का सामुदायिक नियंत्रण मजबूत होता है, जिससे सामाजिक एकता को बल मिलता है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण में सुधार–स्थानीय निगरानी–जब स्वास्थ्य उप–केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों के संचालन व निगरानी का अधिकार ग्राम सभा के पास होता है, तो शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों की जवाबदेही बढ़ती है। कुपोषण और पलायन पर अंकुश–स्थानीय स्तर पर रोजगार और संसाधनों के प्रबंधन से सामाजिक सुरक्षा मजबूत होती है, जिससे मजबूरन होने वाले पलायन में कमी आती है और परिवारों का बिखराव रुकता है।

पेसा कानून से होने वाले संभावित आर्थिक लाभ–आदिवासी बहुल क्षेत्र खनिज संपदा, वनों और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं। पेसा कानून इन क्षेत्रों में आर्थिक न्याय और स्वावलंबन की नींव रखता है–

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 7, October 2026 Impact Factor: 8.2

लघु वनोपज पर पूर्ण स्वामित्व–आर्थिक सुरक्षा–आदिवासी बहुल क्षेत्रों में महुआ, चार, हर्रा, बहेरा, तेंदू पत्ता, इमली और लाख जैसी लघु वनोपज आदिवासियों की आय का प्रमुख स्रोत हैं। पेसा कानून ग्राम सभाओं को लघु वनोपज के स्वामित्व और उनके स्थानीय स्तर पर संग्रहण, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन का अधिकार देता है।

बिचौलियों से मुक्ति–पहले ठेकेदार और बिचौलिये बहुत कम दामों पर वनोपज खरीदकर आदिवासियों का आर्थिक शोषण करते थे। ग्राम सभा के अधिकार में आने से उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्थानीय स्तर पर लाभांश का वितरण सुनिश्चित होता है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में सीधी वृद्धि होती है।

भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक–साहूकारों और बाहरी ताकतों से बचावरू ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों की उपजाऊ जमीनें धोखे से, कर्ज के जाल में फंसाकर या गैर–कानूनी तरीके से गैर–आदिवासियों द्वारा हड़प ली जाती थीं। पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वह भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोके और यदि कोई जमीन अवैध रूप से ली गई है, तो उसे वापस दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाए। कृषि उत्पादकता में स्थिरता– जब किसानों के पास अपनी भूमि का निर्विवाद अधिकार रहता है, तो वे दीर्घकालिक कृषि निवेश और सुधार के लिए प्रेरित होते हैं।

लघु खनिजों पर नियंत्रण और रॉयल्टी–स्थानीय संसाधनों से स्थानीय विकासरू पेसा कानून के तहत गिट्टी, रेत, मुरूम, पत्थर जैसे लघु खनिजों के खनन के लिए पट्टा देने या उसकी नीलामी करने से पहले ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य की गई है। राजस्व की प्राप्ति खनन गतिविधियों से मिलने वाले राजस्व और रॉयल्टी का एक हिस्सा सीधे स्थानीय पंचायतों या ग्राम सभाओं को प्राप्त होता है, जिसका उपयोग ग्रामीण बुनियादी ढांचे (सड़क, पेयजल, बिजली) के विकास में किया जाता है।

ऋण मुक्ति और साहूकारी प्रथा पर नियंत्रण–वित्तीय समावेशन–पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम सभाओं को यह अधिकार है कि वे स्थानीय स्तर पर साहूकारों द्वारा दिए जाने वाले अवैध और उच्च ब्याज दरों वाले ऋणों पर नियंत्रण रखें। इससे आदिवासी परिवार कर्ज के अंतहीन जाल से मुक्त होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर होती है।

विकास परियोजनाओं में विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े अधिकार–भूमि अधिग्रहण में सहमति–अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी बड़ी विकास परियोजना (जैसे बांध, कारखाने, बड़ी खनन परियोजनाएं) के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श और सहमति लेना अनिवार्य किया गया है।

उचित मुआवजा और रोजगार–इससे न केवल मनमाने विस्थापन पर रोक लगती है, बल्कि विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा, पुनर्वास पैकेज और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलने की आर्थिक गारंटी सुनिश्चित होती है।

प्रभावी क्रियान्वयन में चुनौतियां और बाधाएं–यद्यपि सैद्धांतिक रूप से पेसा कानून के सामाजिक और आर्थिक लाभ अत्यंत व्यापक हैं, परंतु जमीनी स्तर पर इसके पूर्ण लाभों को प्राप्त करने में कई बाधाएं आती हैं–कानून के नियमों का कमजोर अनुपालन–कई राज्यों में पेसा के प्रावधानों के अनुरूप राज्य के पंचायती राज अधिनियमों और संबंधित विभागों (वन, राजस्व, खनन) के नियमों में पूर्ण संशोधन नहीं किया गया है, जिससे शक्तियों के विकेंद्रीकरण में असमंजस बना रहता है।

जागरूकता का अभाव–अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण ग्रामीण जनता और स्वयं ग्राम सभा के सदस्य अपने कानूनी अधिकारों से पूरी तरह अवगत नहीं हो पाते हैं। प्रशासनिक और नौकरशाही का प्रतिरोध–कई बार स्थानीय प्रशासन और विभागीय अधिकारी ग्राम सभाओं को वास्तविक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सौंपने में आनाकानी करते हैं, जिससे शक्ति का हस्तांतरण कागजों तक सीमित रह जाता है। अवैध खनन और अतिक्रमणरू

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 7, October 2026 Impact Factor: 8.2

राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्गों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जारी रखना भी एक बड़ी चुनौती है।

जमीनी स्तर पर प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी, नियमों के कमजोर अनुपालन और कानूनी जागरूकता के अभाव जैसी बाधाओं के बावजूद, पेसा कानून आदिवासी समाज में आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक न्याय की रीढ़ साबित हो सकता है।

पेसा कानून भारतीय संविधान की उस समावेशी सोच का जीवंत दस्तावेज है जो 'सबका साथ, सबका विकास' के साथ–साथ 'वंचितों और आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण' सुनिश्चित करता है। यदि पेसा कानून की भावना को उसकी वास्तविक ताक़त के साथ लागू किया जाए, तो यह अनुसूचित क्षेत्रों के सामाजिक ताने–बाने को मजबूत करते हुए वहाँ के निवासियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सकता है।

निष्कर्षतः में कहा जा सकता है कि पेसा कानून केवल एक प्रशासनिक या कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत जनजातीय समुदायों की अस्मिता, स्वायत्तता और आत्म–सम्मान की जीवंत गारंटी है। पारंपरिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों के अटूट संरक्षक रहे आदिवासियों को उनके अपने संसाधनों का वास्तविक मालिक बनाना इस कानून का मूल दर्शन है।

यद्यपि विभिन्न राज्यों में इसके क्रियान्वयन के दौरान नौकरशाही का प्रतिरोध, प्रशासनिक जटिलताओं और जन–जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ सामने आई हैं, फिर भी इसके दूरगामी परिणाम अत्यंत सकारात्मक हैं। यदि पेसा कानून की मूल भावना को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जाए, तो यह न केवल अनुसूचित क्षेत्रों के सामाजिक ताने–बाने को अटूट सुदृढ़ता प्रदान करेगा, बल्कि वहाँ के निवासियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाते हुए समावेशी विकास के नए द्वार खोलेगा। अंततः, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और उनका सशक्तिकरण ही सच्चे भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की वास्तविक कसौटी है।

आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति को मजबूत किया जाए, ग्राम सभाओं को प्रशिक्षित और सशक्त बनाया जाए, तथा तकनीक और पारदर्शिता का उपयोग करते हुए जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों को अटूट सुरक्षा प्रदान की जाए। तभी यह कानून आदिवासियों के जीवन में एक वास्तविक सामाजिक–आर्थिक क्रांति लाने में पूर्ण रूप से सफल हो सकेगा।

संदर्भ :–

- संसदीय एवं सरकारी दस्तावेज : भारत सरकार (1996), 'पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)', अधिनियम संख्या 40, 24 दिसंबर 1996।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), 'Provisions of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)'
- पत्र सूचना कार्यालय (PIB, भारत सरकार), 'Concept Note on The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA),, 18 नवंबर 2021।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 7, October 2026
Impact Factor: 8.2

- पत्र सूचना कार्यालय (PIB, भारत सरकार), 'पेसा महोत्सव एवं संबंधित जमीनी प्रभाव', 22 दिसंबर 2025।शैक्षणिक एवं पठन सामग्री–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 'UNIT 4: PESA AND ITS IMPLEMENTATION']
- लोक प्रशासन एवं राजनीति विज्ञान अध्ययन सामग्री।राजस्थान सरकार, पंचायती राज विभाग (IGPRGVS), 'राजस्थान पेसा कानून, 1999 व पेसा चालीसा', प्रश्नोत्तरी एवं मार्गदर्शिका।
- संस्कृति आईएएस (Sanskriti IAS), 'पेसा अधिनियम : मुख्य विशेषताएं, उद्देश्य और सामाजिक–आर्थिक प्रभाव', समसामयिक नोट्स।